कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
फैक्स नं. 07744–225158, ई–मेल–pmsactdrjn@gmail.com

क्रमांक / 687 / आजाक / आ.ला.पो.मै.छा. / 2026–27 राजनांदगांव, दिनांक 18 / 06 / 2026

प्रति,

अधिष्ठाता / प्राचार्य
शा.अशा. महाविघालय. / इंजीनियरिंग / मेडिकल कालेज / नर्सिंग
आई.टी.आई. / पालिटेक्निक / बी.एड.कालेज / उद्यानिकी / कृषि / वेटनरी / फॉर्मेसी
....
जिला– राजनांदगांव।

विषयः– **वर्ष 2026–27 में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वी सें उच्चतर) के आवेदन प्रस्ताव एंव स्वीकृति लॉक करने की तिथि की सूचना**

सदंर्भ :– **आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / STU/ 171/2026-SCHOLARSHIP SECTION नवा रायपुर दिनांक 15.06.2026 ।**

—000—

राजनांदगांव जिलें में संचालित शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, कृषि, उद्यानिकी फॉर्मेसी आदि संस्थाओं के प्राचार्यों / संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारी एंव उन संस्थाओं में अध्ययनरत् **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एव अन्य पिछडा वर्ग**, के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है, कि **शिक्षा सत्र 2026–27 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी. से उच्चतर) महाविद्यालय स्तर के आवेदन, स्वीकृति एंव वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/वेबसाइट** पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन / प्रस्ताव / स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2026–27 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई हैः–

आवेदन का प्रकार	आवेदन प्राप्ति तिथि	संस्था स्तर पर कार्यवाही हेतु समय–सीमा	जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु समय–सीमा	संभावित छात्रवृत्ति वितरण तिथि	रिमार्क
नवीनीकरण	**30 जून 2026 तक**	**1.अशासकीय संस्थाओं** –प्राप्त आवेदनों का परीक्षण की जिला को भेजना **07 दिवस अधिक्तम**	**1.अशासकीय संस्थाओं** के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरान्त राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु **अधिक्तम 08 दिवस**	**18 जुलाई 2026**	आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा।
	30 सितम्बर 2026 तक			**18 अक्टूबर 2026**	
	30 नवम्बर 2026 तक			**18 दिसम्बर 2026**	
	30 दिसम्बर 2026 तक			**18 जनवरी 2027**	
नवीन	**30 अगस्त 2026 तक**	**2. शासकीय संस्थाओं** – प्राप्त आवेदनों का परीक्षण स्वीकृत कर जिला को भेजना **10 दिवस अधिक्तम**	**2. शासकीय संस्थाओं** के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरांत राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु **अधिक्तम 05 दिवस**	**18 सितम्बर 2026**	
	30 सितम्बर 2026 तक			**18 अक्टूबर 2026**	
	30 नवम्बर 2026 तक			**18 दिसम्बर 2026**	
	30 दिसम्बर 2026 तक			**18 जनवरी 2027**	

वर्ष 2026–27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति **आवेदन नवीनीकरण के लिये 20 जून 2026 एवं नवीन आवेदन के लिये 01 अगस्त 2026** से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ किये जायेगें। प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाये जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सकें।

नोटः– छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :

1. अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय–सीमा रू 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछडा वर्ग हेतु आय–सीमा रू.1.00 लाख प्रतिवर्ष। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई प्रमाण पत्र, छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यकम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
2. **PFMS** के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो **आधार सीडेड ऐकटीव बैंक खाता नम्बर** की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
3. वर्ष 2026–27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को **NSP PORTAL** से **OTR (ONE TIME REGISTRATION)** प्राप्त करना आवश्यक हैं। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता हैं।

   वर्ष 2026–27 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (**Hoi**) एंव संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (**INO**) का **Biometric-Authentication** किया जाना अनिवार्य है।

   संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास राजनांदगांव

पृ0 क्रमांक/688/ आजाक/आ.ला.पो.मै.छा./2026–27 राजनांदगांव, दिनांक 18/06/2026

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,इंद्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास राजनांदगांव